



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi – 110 002
Telephone-011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स.N-15011/12/2022-P&D

दिनांक : 24.05.2023

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत बिहार राज्य के 11 जिले नामतः अरवल, जमुई, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण के सम्पूर्ण क्षेत्रों में, उक्त जिलों में पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी। / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in the entire area of 11 district namely Arwal, Jamui, Kaimur, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Madhubani, Nawada, Purnia, Sheikhpura and West Champaran, in addition to the already notified areas of the said districts, in the state of Bihar.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 23.05.2023 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 2244(अ) दिनांक 23 मई, 2023 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-23052023-246004)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत बिहार राज्य के अरवल, जमुई, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में, उक्त जिलों में पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन दिनांक 01.06.2023 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 2244(E) dated 23rd May, 2023 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 23.05.2023 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- 23052023-246004)

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of Arwal, Jamui, Kaimur, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Madhubani, Nawada, Purnia, Sheikhpura and West Champaran in the state of Bihar shall be effective from 01.06.2023.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	503
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	108
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	133

I/448625/2023

कुल / Total	611/744
संलग्नक - यथोपरि	

(अखिलेश कुमार)
सहायक निदेशक (योववि)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।